

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1553

माननीय विधायक डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नागदा नगर में केमिकल ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं केमिकल टैंकर्स धुलाई करने वाले संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण।

क्र	संस्था का नाम व पता	न्यायालयीन कार्यवाही का विवरण
1	मे. गोल्डन केमिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट कम्पनी नागदा	संस्था के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-43, 44 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37,39 के अंतर्गत सी जे एम न्यायालय उज्जैन में दिनांक 23/07/2018 को वाद दायर किया गया , जो वर्तमान में विचाराधीन है।
2	मेसर्स बाबा टायर्स एंड सर्विस सेंटर नागदा	संस्थान के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-43, 44 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37,39 के अंतर्गत सी जे एम न्यायालय उज्जैन में दिनांक 30/09/2019 को वाद दायर किया गया , जो वर्तमान में विचाराधीन है।
3	मेसर्स नेशनल सर्विस सेंटर नागदा	संस्थान के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-43, 44 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37,39 के अंतर्गत सी जे एम न्यायालय उज्जैन में दिनांक 30/09/2019 को वाद दायर किया गया , जो वर्तमान में विचाराधीन है।
4	मेसर्स राधा मदन मोहन सर्विस सेंटर नागदा	संस्थान के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-43, 44 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-37,39 के अंतर्गत सी जे एम न्यायालय उज्जैन में दिनांक 30/09/2019 को वाद दायर किया गया , जो वर्तमान में विचाराधीन है।

अनुभाग अधिकारी
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)


(एच.के.तिवारी),
क्षेत्रीय अधिकारी उज्जैन